

भारतीय स्वाधीनता संग्राम में छत्तीसगढ़ की भूमिका

मिथिलेश साहू, अतिथि सहाय प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय, गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.)
डॉ. योगेंद्र कुमार धुर्वे, सहाय प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय गुरुर, जिला बालोद (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता-आंदोलन का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और भारत की आजादी में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन् 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर 1947 के आजादी तक यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्षों का दौर चलता रहा। आदिवासियों ने तो इनसे पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूँक दिया था। अतीत से ही भारतीय इतिहास राजतंत्र एवं सामंती व्यवस्था से प्रभावित रहा है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनकी नीतियाँ व्यवस्थित रही हैं। नीति शास्त्रों में राजा-प्रजा के संबंध में पिता पुत्र के समकक्ष माना गया जिससे जनजाति प्रभावित होता रहा है। देश के मध्य में अवस्थित दक्षिणकैण्ट या छत्तीसगढ़ प्रारंभ से ही 19वीं शताब्दी के मध्य तक सामंतवाद एवं राजतंत्र की नीतियों से प्रेरित रहा। सामान्य तौर पर भारत में अंग्रेजों सत्ता के दो कालखंड नजर आते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका शासन 1765 से 1858 तक रहा और दूसरा ब्रिटिश सरकार 1858 से 1947 तक रहा जिसमें ब्रिटिश संसद के माध्यम से वहाँ की सरकार महारानी के नाम से शासन करती थी इन दोनों कालखंडों में भारतीय अपने स्वाधीनता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और दोनों ही काल में छत्तीसगढ़ के स्वराज्यों या समाज के वीर योद्धाओं ने अपना योगदान दिया संघर्ष का चरित्र छत्तीसगढ़ के दो क्षेत्रों में जनजाति व गैरजनजाति क्षेत्रों में भिन्न प्रकार से देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में कंपनी ने यहाँ का प्रशासन मले ही 1818 को अपने हाथ में ले लिया किंतु उनके पहले ही अंग्रेजों विरुद्ध यहाँ का जनजाति समाज संघर्ष में कूद चुका था इस प्रकार स्वाधीनता संघर्ष में छत्तीसगढ़ के योगदान में जनजातीय समाज हमेशा अग्रणी रहा तौर कमान लेकर अंग्रेजों की स्वचालित आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से मुकाबला करने का साहस उनमें अद्भुत था वे अंग्रेजी सत्ता और उनके अधीनस्थ राजाओं व नौदरों को दमनकारी नीतियों के खिलाफ मुखर रहे कहा जा सकता है कि पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपने मन मुताबिक शासन चलाया लेकिन वे जनजातीय क्षेत्रों में असहाय रहे।

छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास-पहले चरण में जनजातियों में संघर्ष प्रारंभ हुआ जब बंगाल को वापस कंपनी ने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहा तो बस्तर में हल्बा जनजाति से सशस्त्र संघर्ष हुआ इसमें अंग्रेजों ने बर्बरता से सैकड़ों हल्बा जनजातियों की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों काल में 14 प्रमुख सशस्त्र संघर्ष विभिन्न जनजातियों ने किए इनमें से कुछ तो रियासतों के कुशासन के कारण थे किंतु अनेक संघर्ष जन संस्कृति पर अंग्रेजी हस्तक्षेप से उपजे थे। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक वातावरण बन चुका था। छत्तीसगढ़ इससे अछूता नहीं था। 1856 से 1860 के बीच कई सशस्त्र संघर्ष हुए इसमें बस्तर के धुर्वा राव का विद्रोह ही

को सोनाखान में विद्रोह जनजाति के जमींदार वीरनारायण सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अंततः फाँसी पर लटका दिए गए। 1857 में जब राजे-राजवाड़े कंपनी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्षरत थे सरगुजा में भी स्थानीय कोल जनजातियों की मदद से रीवा राज्य के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ था भोज और भगत के नेतृत्व में समूचे सरगुजा में अँग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया था। यहाँ पर उदय में राजा के भाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया जिसे कालापानी की सजा मिली। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के फलस्वरूप सारंगढ़ रियासत में कमलासिंह के नेतृत्व में बगावत हुई जिसे बड़ी निर्ममता से कुचला गया कमलासिंह को फाँसी दे दी गई। रायपुर में अँग्रेजी सेना का मैगजीन लूटकर हनुमान सिंह ने 18 जनवरी को अपने अधिकारी सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। यह घटना एकाएक नहीं हुई इस दौर में अँग्रेजी हुकूमत जिस प्रकार विद्रोह को कुचलने कूरता दिखा रहे थे उसे एक देशभक्त सहन नहीं कर सका। सोनाखान के जमींदार वीरनारायण सिंह अकाल से जनता की पीड़ा से व्यथित थे। जब व्यापारियों तथा अँग्रेजी सत्ता से कोई मदद नहीं मिली तब उन्होंने व्यापारियों के अनाज के गोदामों को लूटकर गरीब लोगों में बाँटवा दिया। इस प्रकार अँग्रेजों से उनकी टन गई। सीक्षित संघर्ष के बाद वे गिरफ्तार कर लिए गए। 1857 के संग्राम का समाचार मिला तो उन्होंने जेल से भागकर अँग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। वे फिर से पकड़े गए और सार्वजनिक तौर पर 10 दिसंबर 1958 को रायपुर जेल में वीरनारायण सिंह को फाँसी दी गई थी। हनुमानसिंह इस निर्णय से दुखी थे। हनुमानसिंह के 17 साथियों को फाँसी पर लटकाया गया। इस प्रकार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1858 में कंपनी शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में अँग्रेजी के खिलाफ विरोध और विद्रोह नहीं थमा। अब ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से जनजातीय संस्कृति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण विद्रोह हुए। दक्षिण वस्तर में वनवासियों के लिए साल वृक्ष एक आस्था का प्रतीक है। अँग्रेजी हुकूमत ने वस्तर में पेड़ काटने करने का काम ठेकेदारों को सौंपा था उन्होंने सागौन के पेड़ों को काटने के साथ साल की पेड़ों पर भी आरी चलाना शुरू कर दिया। 1859 में इससे वहाँ निवासरत दारला और दंडामी माड़िया जनजातियों ने विरोध करने का निर्णय किया। इससे हैदराबाद के ब्रिटिश ठेकेदार घबरा गए उन्होंने जब अँग्रेज अधिकारियों को वनवासियों का निर्णय बताया तो अँग्रेजों ने इसे अपनी प्रभुसत्ता को चुनौती मानते हुए एक सैनिक सशस्त्र टुकड़ी भेज दी। इससे भड़के जनजातीय ने हाथों में मशाल लेकर लकड़ी के टालों को आग के हवाले कर दिया। वनवासियों ने नारा दिया था 'एक साल वृक्ष के लिए एक सर' इस नारे का इतना व्यापक असर हुआ कि हैदराबाद के निजाम को पेड़ों को काटने का निर्णय वापस लेना पड़ा। यह स्वतंत्र भारत का वन बचाव चिपको आंदोलन था। वस्तर के राजमुरिया लोगों के बीच सरकार के खिलाफ असंतोष की एक घटना 1876 ईसवी में घटित हुई थी। यह घटना बताती है कि वनवासी समुदायों में अँग्रेजों का लेकर कितना आक्रोश था। 28 फरवरी 1876 को वस्तर के राजा भैरमदेव वेल्स के युवराज से भेंट के प्रयोजन से जगदलपुर से खाना हुआ। मारंगा नामक स्थान पर राजा की पालकी होने वाले भारवाहकों और कहारों ने सिर कंधों से बोझ उतारकर आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। क्योंकि राजा अँग्रेजी राजकुमार से मिलने क्यों जा रहे हैं? इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर जगदलपुर जेल में बंद करने ले जा रहे थे। लेकिन इसके पूर्व ही कूर आदिवासी किसानों की टोली ने घात लगाकर गैरद के कब्जे से बंदियों को छुड़ा लिया और गैरद को खदेड़ दिया। आखिरकार राजा को

उल्टे पाँव लौटना पड़ा। यह अरांतोप अँग्रेजी नीतियों त्मान और शोषण के कारण था। बस्तर में एक और विरोध हुआ। यह बस्तर की सामाजिक परंपरा पर हस्तक्षेप करने का कारण हुआ। 1878 में राजा गैरमदेव ने ब्रिटिश सरकार के आदेश पर मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह किया जो जिसमें बस्तर की महिलाओं ने बड़ी संख्या में रानी का साथ दिया। अँग्रेजों ने इसे रानी का विद्रोह माना था और नाम दिया रानी चोरिस। आखिरकार राजा को झुकना पड़ा। अँग्रेजों के खिलाफ अंतिम सशस्त्र संघर्ष 1910 में भूमकाल के नाम से हुआ। इस विरोध के अनेक कारण थे। जिसमें ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण भी एक कारण था। लाला कालेंद्रसिंह, रानी सुवसन कुंवर और गृध्राक्षर ने इस संघर्ष का नेतृत्व करते हुए फरवरी 1910 में सरकारी दफतारों को आग लगा दी, लूटमार की गई। अँग्रेजों ने कठोरता से इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में जनजातीय मुस्लिम गोली के शिकार हुए। सभी महत्त्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हुए, उन्हें देश निकाला दे दिया।

राष्ट्रीय आंदोलनों का छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलता है—

1. असहयोग आंदोलन का प्रभाव
2. भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव
3. सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव
4. सांप्रदायिक दंगों का प्रभाव
5. होमरूल आंदोलन का प्रभाव
6. प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का प्रभाव
7. रौलेक्ट एक्ट का विरोध तथा प्रभाव
8. जालियावाला बाग हत्याकांड का प्रभाव
9. खिलाफत आंदोलन का प्रभाव
10. गांधीजी के प्रथम आगमन का प्रभाव

1. असहयोग आंदोलन का प्रभाव—छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव निम्नलिखित रूपों में हुआ—

(क) छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का शुभारंभ वकालत परित्याग से हुआ छत्तीसगढ़ अंचल के 8 वकीलों ने वकालत छोड़ दिया।

(ख) असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में गांधीजी ने मद्यपान निषेध को अत्यधिक प्रमुखता दी थी जिसका छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी प्रभाव पड़ा और 07 फरवरी 1921 के रायपुर नगर में गांधी चौक पर एक आम सभा आयोजित की गई। जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मतदान बहिष्कार करने तथा शराब दुकानों को बंद करने की सलाह दी।

(ग) असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में सरकारी पदवी की उपाधियों का त्याग भी प्रारंभ कर दिया जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा।

(घ) असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन ने कांठसालिंग और जिला परिषदों के चुनाव कराने की घोषणा की लेकिन इसका छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में बहिष्कार किया गया।

(ङ) विद्यार्थियों ने असहयोग आंदोलन को अपना सक्रिय सहयोग देने के लिए स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया कर्मवीर साप्ताहिक समाचारपत्र के संपादक ने समाचारपत्र के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करने की प्रेरणा दी।

2. भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव—छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव इस प्रकार हुआ—

(अ) ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस की एक नहीं सुनी और गांधीजी की मासिक अपीलों की उपेक्षा की। तब विवश होकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई में बैठक बुलाई और 7 से 8 अगस्त को मुंबई में इस बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हो गई जिसका छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों पर प्रभाव पड़ा जिसमें रायपुर नगर प्रमुख था।

(आ) रायपुर के अलावा बिलासपुर नगर तथा जिले में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को देखने को मिली जिसमें गुप्त रूप से लोगों ने सूचना प्राप्त होने के बाद विशाल सभाएँ कीं जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के नेताओं ने भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया जिसमें विद्यार्थियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था।

(इ) दुर्ग जिले में भी भारत छोड़ो आंदोलन का बोलबाला रहा। यहाँ पर कांग्रेस कमेटी को ब्रिटिश प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया लेकिन फिर भी आंदोलनकारियों नवयुवकों किसानों तथा सतनाम पंथी लोगों ने इस में बढ़-चढ़कर भाग लिया गिरफ्तारियाँ भी हुईं।

3. सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव—काँग्रेस कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती आश्रम में हुई। इसमें समिति कार्य समिति ने गांधीजी को ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों व दमन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए अधिकृत किया। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के महाकौशल राजनीतिक परिषद के सम्मेलन में 1930 में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में ही नमक सत्याग्रह का विस्तार हुआ। अप्रैल 1930 में जहाँ पर सत्याग्रहीयों ने रायपुर में स्थित भाटापारा के सत्याग्रही कुंभा खान की मिट्टी लाकर उसे एक कढ़ाई में डालकर पानी में खौला कर नमक तैयार किया इसके अलावा क्रमशः धमतरी में सत्याग्रही आश्रम की स्थापना 1 मई 1930 में की गई तथा बिलासपुर महासमुंद में राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया जिसमें झंडा दिवस, धरना दिवस व महिला दिवस आदि प्रमुख थे।

4. सांप्रदायिक दंगों का प्रभाव—मई 1924 में अँग्रेजों के कुचक्रों से हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य पैदा हो गया। खिलाफत आंदोलन के समय दोनों के बीच में स्थापित एकता समाप्त हो गई जिसका छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव देखने को मिला। रायपुर तथा धमतरी जिले में मस्जिदों के सामने बाजा बजाने के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा भड़क गया जिसमें अनेक लोग घायल हुए लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ के लोगों ने इसको बड़ी शांति से सुलझा लिया और हिंदू मुस्लिम एकता परिचय दिया।

5. छत्तीसगढ़ में होमरूल आंदोलन का प्रभाव—लोकमान्य तिलक एवं एनीबेसेंट ने होमरूल लीग की स्थापना कर होमरूल आंदोलन का सूत्रपात किया। जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। इनमें कार्यकर्ताओं और नवयुवकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया रायपुर में इसकी स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उनके सहयोगी लक्ष्मणराव तथा मूलचंद व माधवराव सप्रे ने किया। बिलासपुर शाखा में भी यह सक्रिय रूप से आगे बढ़ा और देखते-ही-देखते छत्तीसगढ़ के अन्य भागों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। प्रशासन का कठोर दमनात्मक रवैया होने के बावजूद यह आंदोलन और उग्र होता गया।

6. प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का प्रभाव—प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के

विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पं० सुंदरलाल शर्मा, माधवराय सप्रे, नारायण राव मेघावाले ने इसको आगे बढ़ाया। जिसमें होमरूल लीग का गाँव और कस्बों में विस्तार करने तथा स्वराज फंड में धनराशि इकट्ठा करने आदि प्रमुख मुद्दे थे।

7. रौलेक्ट एक्ट का विरोध तथा प्रभाव—सन् 1919 में रौलेक्ट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई। छत्तीसगढ़ में भी इस हड़ताल का प्रभाव पड़ा। रायपुर, धमतरी, विलासपुर, दुर्ग व राजनंदगाँव में स्थानीय काँग्रेसियों ने जनसभा आयोजित की और दैत्य रूपी काले कानून का विरोध किया और जुलूस निकाला।

8. जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव—रौलेक्ट एक्ट का विरोध संपूर्ण भारत में किया गया। इस एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक आमसभा रखी गई जिसमें 20000 से अधिक लोग शामिल हुए और इसमें जनरल डायर ने ब्रिटिश फौज से 1600 कारतूस चलवा दिए परिणामस्वरूप 400 से अधिक लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हो गए। इस भीषण नरसंहार के विरोध में छत्तीसगढ़ में पं० सुंदरलाल शर्मा, पं० रविशंकर शुक्ल और राघवेंद्र राव ने भाग लिया। पं० सुंदरलाल शर्मा और रविशंकर शुक्ल ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की घोर निंदा की।

9. खिलाफत आंदोलन का प्रभाव—प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इंग्लैंड और उसके मित्र राष्ट्रों में युद्ध के उपरांत पराजित राष्ट्रों के साथ मनमानी की और टर्की को पराजित कर दिया उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। टर्की के सुल्तान समस्त मुसलमानों के खलीफा थे। मुसलमानों के नेता मोहम्मद अली और शौकतअली ने गांधीजी से परामर्श कर खलीफा के सम्मान और रक्षार्थ आंदोलन चलाया। इसका छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव देखने को मिला क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। हिंदुओं ने भी इसका समर्थन किया उस समय पं० रविशंकर शुक्ल ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया और उन्होंने खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया।

10. गांधीजी के प्रथम आगमन का प्रभाव—20 दिसंबर 1920 को पं० सुंदरलाल शर्मा के साथ गांधीजी अपनी प्रथम यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर पधारे। उन्होंने अपनी लोकप्रियता के साथ जनता के सहयोग की माँग की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अँग्रेजी हुकूमत को हटाने तथा उनके अत्याचारों को न सहने की बात की। उन्होंने महिलाओं से भी स्वराज के लिए बढ़-चढ़कर लड़ने का आह्वान किया।

निष्कर्ष—इस प्रकार स्वतंत्रता-आंदोलन के दौर में पं० सुंदरलाल शर्मा, पं० नारायणराव मेघावाले, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पं० माधवराव सप्रे, बेरिस्टर छेदीलाल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप, यति यतनलाल महंत, लक्ष्मीनारायण दास, गुरु अगमदास, मगनलाल बागड़ी, डॉ० खूबचंद बघेल जैसे जननेता हुए थे जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वतंत्रता-आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी दी एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हम जनजाति समाज के योगदान को नकार नहीं सकते। उन्होंने हमेशा स्वाधीनता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीर कमान लेकर अँग्रेजों की स्वचालित आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से मुकाबला करने का साहस उनमें अदभुत था। उन्होंने अँग्रेजी सत्ता और उनके अधीनस्थ राजाओं जमींदारों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। इसीलिए आज ऐसे वीर सपूतों का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे वीर सपूतों को पाकर छत्तीसगढ़ की मिट्टी पवित्र हो गई है।

संदर्भ

1. छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण, 2022
2. विमलकांत श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ की रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी रायपुर 2019, पृ० 29
3. शशांक शर्मा पत्रकार का लेख-2021
4. कौशल दुहे 26 जनवरी 2021
5. डॉ० जनराम साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ी संस्कृति एवं इतिहास के अध्ययन लेख, 2021
6. डॉ० सुरेंद्रचंद्र शुक्ला, छत्तीसगढ़ का नामकरण एवं इतिहास, मातोश्री पब्लिकेशन रायपुर, 2020, पृ० 109-110
7. वही, पृ० 183-185
8. डॉ० आंबिकाप्रसाद वर्मा, छत्तीसगढ़ का शासन एवं राजनीति पंचशील पुस्तक मंदिर, दौसा राजस्थान-2023 पृ० 23-24
9. डॉ० सुरेंद्रचंद्र शुक्ला, छत्तीसगढ़ का नामकरण एवं इतिहास, पृ० 124
10. वही, पृ० 98
11. डॉ० आंबिकाप्रसाद वर्मा, छत्तीसगढ़ का शासन एवं राजनीति, पृ० 98
12. डॉ० सुरेंद्रचंद्र शुक्ला, छत्तीसगढ़ का नामकरण एवं इतिहास, पृ० 99
13. वही, पृ० 101
14. डॉ० सुरेंद्रचंद्र शुक्ला, छत्तीसगढ़ का नामकरण एवं इतिहास, पृ० 101-102
15. वही, पृ० 108